अध्याय–III

लेनदेनों की लेखापरीक्षा

3.1 नगर निगम की रु 408.01 करोड़ की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा।

(अ) नगर निगम के नियमानुसार शासन द्वारा दी गयी या उपहार में प्राप्त या क्रय की गई या अन्य साधनों से प्राप्त भूमि, नगर निगम के निर्देश, नियन्त्रण और प्रबन्धन के अधीन रहेगी। किसानों को पट्टे पर दी गयी भूमि का समय–समय पर भौतिक सत्यापन करके उसका मिलान राजस्व अभिलेख से किया जाना चाहिए।

नगर निगम इलाहाबाद के सम्पत्ति विभाग के अभिलेखों की जॉच (जुलाई 2005) में पाया गया कि मौजा करेली में 432 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि नगर निकाय (निगम) के मालिकाना हक में दर्ज थी तथा 1359 फसली (वर्ष 1952) तक वह भूमि राजस्व अभिलेखों में किसानों को पट्टे के रूप में दर्ज थी परन्तु उसके बाद राजस्व अभिलेखों से निगम का नाम हटा दिया गया। नगर निगम द्वारा भू–अभिलेखों के समुचित रख रखाव न किए जाने तथा वार्षिक भौतिक सत्यापन नही किए जाने के कारण यह घटित हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर राजस्व अभिलेखों में नगर निगम का नाम भूमि के स्वामी के रूप में (मार्च 2007) में दर्ज किया गया, परन्तु लेखापरीक्षा तिथि तक उस भूमि पर कब्जा नही प्राप्त हो सका था। निगम की भूमि पर अवैध कब्जा निम्नवत् था:–

क्र. सं.	वर्तमान खतौनी में कब्जेदारों का नाम	रकबा (क्षेत्र)		मूल्य[♣] (रु करोड़ में)
		बीघा	बिस्वा	
1	उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद	207	15	125.33
2	उत्तर प्रदेश शासन	17	17	12.80
3	अन्य किसान	206	18	125.17
	योग	**432**	**10**	**263.20**

नगर निगम इलाहाबाद के अनदेखी के कारण निगम की भूमि पर क्षेत्रीय दरों के अनुसार रु 263.20 करोड़ मूल्य की भूमि पर अवैध कब्जा हुआ।

उत्तर में इकाई द्वारा बताया गया कि (जुलाई 2007) की विभागीय कार्यवाही का प्रकरण विचाराधीन है।

(ब) नगर निगम मेरठ के लेखाओं की जॉच में पाया गया (अगस्त 2004) कि 636738 वर्ग मी. नगर निगम की भूमि मूल्य रु 144.81 करोड़ पर मेरठ विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का अवैध कब्जा वर्ष 1987 **(परिशिष्ट–6)** से था। नगर निगम की भूमि पर

[♣] रु 60.50 लाख प्रति बीघा (रु 2000/- प्रति वर्ग गज)

अवैध अतिक्रमण की पहचान पन्द्रह वर्ष से अधिक समय बीतने के उपरान्त नही की गई। नगर निगम द्वारा न तो अर्जित परिसम्पत्तियों का रख रखाव किया गया, और न ही राजस्व विभाग के अभिलेखों से समय–समय पर मिलान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर नगर निगम ने बताया कि वर्ष सितम्बर 2002 में आया कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा संज्ञान में आया कि निगम की भूमि पर अवैध कब्जा कर आवासीय भवन के निर्माण में प्रयोग किया जा रहा है। उत्तर से स्थापित किया जा सकता है कि नगर निगम में अपने सम्पत्ति के अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे को रोकने हेतु कोई प्रणाली विकसित नही की गई थी।

प्रकरण शासन को संदर्भित (जुलाई, 2006) किया गया, उत्तर प्रतीक्षित थे।

3.2 अपूर्ण कार्य पर 50.00 लाख का निष्फल व्यय

राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका परिषद, बस्ती को रु 50.00 लाख ब्याज मुक्त ऋण अवस्थापना निधि से बस्ती के जल भराव क्षेत्र से जल निष्कासन हेतु दिये गये (दिसम्बर 2001)। निर्माण हेतु सिंचाई ड्रेनेज प्रखण्ड, बस्ती (आई.डी.डी.बी.) को कार्य सौपा गया। जिलाधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी को कार्य की गुणवत्ता की जॉच एवं नियत समय पर पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। आई.डी.डी.बी. द्वारा रु 36.70 लाख का आकलन दक्षिण दरवाजा से बस स्टाप बस्ती (1.40 कि.मी. एवं 1 कल्वर्ट) एवं रु 29.42 लाख शिवा कालोनी से जिला चिकित्सालय बस्ती (0.95 कि.मी. एवं एक कल्वर्ट) हेतु तैयार किया गया (सितम्बर–2002)। दोनों नालों का मिलान मुख्य नाला से किया जाना था। परिषद द्वारा रु 50.00 लाख निर्माण हेतु आई.डी.डी.बी. को दिया गया (सितम्बर 2002)।

अभिलेखों की जॉच से ज्ञात हुआ रु 31.57 लाख के व्ययोपरान्त नाला निर्माण दक्षिण दरवाजा से बस स्टॉप बस्ती (एक कल्वर्ट के साथ 1.30 कि.मी. नाला) एवं रु 18.43 लाख के व्ययोपरान्त नाला निर्माण शिवा कालोनी से चिकित्सालय, बस्ती (2 कल्वर्ट के साथ 0.81 कि.मी.) अपूर्ण थे (मई 2005)। अपूर्ण नाले का उपयोग जल निकासी हेतु नही किया जा सका ताकि रु0 50.00 लाख का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि निधियों के अभाव में कार्य पूर्ण नही हो सका और अब परिषद द्वारा निर्माण कार्य स्वयं के संसाधनों से पूर्ण किया जायेगा। उत्तर स्वीकार योग्य नही था क्योकि नगर पालिका परिषद को धनाभाव की जानकारी कार्य प्रारम्भ करते समय थी, अतः अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था निर्माण कार्य के दौरान ही की जानी थी।

अतः निधियों की व्यवस्था नियत समय पर न किये जाने के कारण रु 50.00 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (मई 2006) उत्तर प्रतीक्षित था।

3.3 भविष्य निधि, अंशदायी पेंशन एवं सेवा परिलब्धियों के रु 22.47 करोड़ को क्रेडिट न किये जाने के कारण अनिस्तारित दायित्व

अकेन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि अंशदान/वसूली हेतु तथा पेंशन अंशदान हेतु काटी गई धनराशि को प्रतिमाह सम्बंधित कर्मचारी के बैंक खाते में जमा की जानी चाहिए।

अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि भविष्य निधि तथा पेंशन अंशदान की धनराशि रु 22.32 करोड़ वर्ष 1994 से 2005 तक सम्बन्धित खातों में जमा नही की गयी थी। सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों को उपादान की धनराशि रु 0.15 करोड़ का भुगतान नही किया गया था। विवरण निम्नवत् हैः–

(रु करोड़ में)

इकाई का नाम	मद	धनराशि	अवधि जमा से भविष्य निधि, पेन्शन अंशदान की खाते में जमा किया जाना	ब्याज मार्च 2006 तक
नगर निगम, कानपुर	भविष्य निधि	16.42	मार्च, 2004 तक	2.73
नगर निगम, इलाहाबाद	भविष्य निधि	04.06	दिसम्बर, 2002 तक	1.17
नगर पालिका परिषद, सीतापुर	भविष्य निधि	00.57	फरवरी, 2005 तक	0.05
नगर पंचायत, जसराना फिरोजाबाद	भविष्य निधि	00.16	जनवरी 1997 तक	0.21
नगर पंचायत, खागा फतेहपुर	भविष्य निधि	00.13	अक्टूबर 2002 तक	0.04
नगर पालिका परिषद, सीतापुर	पेन्शन अंशदान	00.98	नवम्बर 1994 से जनवरी 1998 तक	–
नगर पालिका परिषद मऊ	सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों का उपादन	00.15	मार्च 1984 से दिसम्बर 2003 तक	–
योग–		**22.47**		**4.20**

सम्बन्धित नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि निधियों के अभाव के कारण सम्बन्धित कर्मचारियों के खाते में धनराशि नहीं जमा की जा सकी थी। उत्तर में इन तथ्यों का, कि कर्मचारियों के वेतन से की गई कटौतियों को अनधिकृत रूप में अन्य कार्यो पर व्यय किया गया था, की पुष्टि का संकेत था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मई 2006), उत्तर प्रतीक्षित था।

3.4 स्टाम्प शुल्क अनारोपण/कम आरोपण किए जाने के कारण रु 12.24 लाख की राजस्व क्षति

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (संशोधित) के अनुसार ठेके की अनुबन्ध पर स्टाम्प शुल्क रु 80.00 प्रति हजार की दर से आरोपित की जानी चाहिए।

छः नगर पालिका परिषद और सात नगर पंचायत की नमूना जॉच में विभिन्न कार्यो हेतु ठेका वर्ष 2001–05 में प्रदान किया गया, अनुबन्ध निर्धारित दर के स्टाम्प पेपर नही किया गया जिससे रु 12.24 लाख का अनारोपण/कम स्टाम्प पेपर पर लगाये जाने के कारण राजस्व क्षति हुई (**परिशिष्ट–7**)।

3.5 रु0 8.54 करोड के अग्रिम का समायोजन/वसूली न किया जाना

कर्मचारियों को दिए गए अस्थाई अग्रिमों का समायोजन वित्तीय वर्ष के अन्त में किया जाना अपेक्षित था। असमायोजित अग्रिम की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी के ब्याज सहित की जानी चाहिए।

तीन नगर निगम और चार नगर पालिका परिषद में कार्य अग्रिम रु 8.54 करोड़ का धनराशि असमायोजित रही। इन असमायोजित अग्रिमों पर ब्याज की धनराशि रु 3.84 करोड़ निम्नवत् थीः–

(रु0 लाख में)

इकाई का नाम	1 से 5 (वर्ष)	5 से 10 (वर्ष)	10 से 15 (वर्ष)	15 से 20 (वर्ष)	25 (वर्ष) से अधिक	योग	10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज
नगर निगम, गोरखपुर	285.19	52.16	56.64	91.78	7.20	492.97	301.67
नगर निगम, गाजियाबाद	285.97	4.66	0	0	0	290.63	58.53
नगर निगम, इलाहाबाद	33.76	10.88	2.50	0	0	47.14	10.83
नगर पालिका परिषद सीतापुर	3.26	2.00	0.49	0	0	5.75	3.22
नगर पालिका परिषद, चरखारी (महोबा)	1.80	0.59	0.08	0	0.78	3.25	1.39
नगर पालिका परिषद, सुल्तानुपर	6.61	0.15	0.18	1.87	0	8.81	5.96
नगर पालिका परिषद, बस्ती	4.84	0.96	0	0	0	5.80	2.42
योग	**621.43**	**71.40**	**59.89**	**93.65**	**7.98**	**854.35**	**384.02**

इससे स्पष्ट है कि शहरी निकायों में आंतरित नियन्त्रण अपर्याप्त था। कुछ कर्मचारियों के सेवानिवृत्त/मृत/स्थानान्तरित हो जाने के कारण पुराने अग्रिमों की वसूली की सम्भावना कम थी। आंतरिक नियन्त्रण की मजबूत अनुश्रवण प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, जिससे उक्त अग्रिमों के त्वरित समायोजन/वसूली/बट्टे खाते में डाले जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता थी। यदि कोई धनराशि वसूली योग्य न हो तो राज्य सरकार द्वारा बट्टे खाते में डालने की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता थी।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जून 2006) उत्तर प्रतीक्षित था।

3.6 रु. 26.64 लाख का निष्फल व्यय

लघु एवं मध्यम शहरों के एकीकृत विकास हेतु आकलन रिपोर्ट (जनवरी 1997) के आधार पर केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा तीन परियोजनाओं♥ पर रु 1.09 करोड़ रुपये* की स्वीकृति (1999–2000) नगर पंचायत केमरी, जनपद रामपुर को दी गई थी। आर्थिक रूप से सक्षम होने के अतिरिक्त आकलन रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन टाउन की

♥ वाणिज्यिक योजनाएँ, यातायात एवं परिवहन योजनाएँ, विविध योजनाएँ।

* वित्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा रु 48.00 लाख राज्य सरकार द्वारा रु 32.00 लाख और वित्तीय संस्थाओं का रु 28.76 लाख अंश था।

तात्कालिक आवश्यकताओं जैसे वाणिज्यिक परिवहन एवं नागरिक समस्याओं को पूर्ण करने वाले थे।

अभिलेखों की जॉच से पाया गया (अक्टूबर 2005) कि इन योजनाओं की सक्षमता का आक्कलन तथा स्थल का विस्तृत सर्वेक्षण भी किए बिना आर्थिक योजनान्तर्गत 83 दुकानों व 2 गोदामों के निर्माण हेतु रु 65.38 लाख का प्राक्कलन तैयार किया गया था। रु 26.66 लाख की प्रथम किस्त (16.00 लाख केन्द्र सरकार से तथा 10.66 लाख राज्यांश) अप्रैल 2001 में अवमुक्त की गयी। रु 53.33 लाख की द्वितीय किस्त (केन्द्र सरकार के रु 32.00 लाख एवं राज्यांश राज्य सरकार के रु 21.33 लाख) मार्च 2004 में अवमुक्त की गयी। नगर पंचायत द्वारा पंचायत कार्यालय के पीछे मितक बिलासपुर रोड पर कुल रु 26.64 लाख कीमत से 39 भूतल मंजिली दुकानों का निर्माण कराया गया (फरवरी, 2003)। दो अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कोई कार्य नही कराया गया। यह भी देखा गया कि 39 निर्मित दुकानों के विरूद्ध केवल 10 दुकानों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। हालांकि ये 10 दुकानों को भी आवंटित नहीं किया जा सका क्योंकि इन्हें मिलकपुर विलासपुर रोड पर लोक निर्माण विभाग की रोड चौड़ाई के अन्दर निर्मित कराया गया था, इस प्रकार किसी भी निजी दुकान का आवंटन नही हो सका था और सभी खाली पड़ी थी परिणामस्वरूप सितम्बर 2005 तक रु 3.60 लाख किराया की क्षति हुई।

इस प्रकार योजना के आर्थिक परिदृश्य का आकलन किये बिना उचित नियोजन के अभाव के कारण 26.64 लाख का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त रु 3.60 लाख किराया क्षति हुई।

यह प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अगस्त 2006), उत्तर प्रतीक्षित की थी।

इलाहाबाद
दिनांकः 31 दिसम्बर, 2007

(तारा चन्द चौहान)
उपमहालेखाकार (स्थानीय निकाय)

प्रतिहस्ताक्षरित

इलाहाबाद
दिनांकः 31 दिसम्बर, 2007

(नरेन्द्र सिंह)
प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)
उत्तर प्रदेश